Social Justice Union Govt. Registered

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 07 दिसंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 70

महत्वपूर्ण एवं खास

10 तक ईडी की हिरासत में रहेंगी सौम्या चौरसिया

रायपुर (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय-ईडी ने मंगलवार को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उप सचिव सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहने का आदेश दिया है। वहीं सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद ईडी की टीम सौम्या चौरसिया को कोर्ट से लेकर निकल गई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सौम्या चौरसिया को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। तथा ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था।

कांग्रेस ने कई राज्यों के बदले प्रभारी, शैलजा के हाथों में छत्तीसगढ़ की कमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है, वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, जबकि शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली के साथ हरियाणा का भी जिम्मेदारी संभालेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुश्री शैलजा , श्री रंधावा और श्री गोहिल की नियुक्तियों की अनुशंसा को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निवर्तमान प्रभारियों अजय माकन (दिल्ली) , पी. एल. पुनिया (छत्तीसगढ़) और विवेक बंसल (राजस्थान) के कार्यों और योगदान की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरदीप सिंह सतपाल को प्रभारी प्रशासन के रूप में पवन कुमार बंसल के साथ संलग्न किया है।

छात्राओं को भगा ले जाने के आरोप में दो शिक्षक गिरफ्तार

बलिया (आरएनएस)। बलिया पुलिस ने छात्राओं को भगा ले जाने के आरोप में दो शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले के बैरिया इलाके में दो लड़कियों को मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया। जबकि लड़कियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक बिहार के सीतामढ़ी का शमशेर आलम मदरसे का मौलवी है। वह उसी इलाके की एक 19 वर्षीय लडक़ी को ट्यूशन देता था और पिछले महीने कथित तौर पर लडक़ी के साथ भाग गया था।पुलिस ने रविवार को सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के पास उसे पकडऩे में सफलता हासिल की और लडक़ी को भी छुड़ा लिया। एक अन्य घटना में इब्राहिमाबाद के एक निजी ट्यूटर नीतेश कुमार 15 वर्षीय लडक़ी को भगा ले गया। थानाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि बच्ची अपने नाना के गांव में रहती थी। पुलिस ने सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को छुड़ा लिया।

नमरा कादिर यूट्यूबर ने बिजनेसमैन से किया गलत काम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की प्रसिद्ध यूट्यूबर नमरा कादिर को बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर 80 लाख रुपए से अधिक की उगाही करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कादिर पर ये भी आरोप है कि उसने बिजनेसमैन को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। नमरा को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे रिमांड में ले लिया गया है। उसने विक्टिम से जो पैसा और सामान लिया था, उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उसके पति को भी जल्द ही ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। नमरा कादिर की उम्र 22 साल है और यूट्यूब पर उसके 6.17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसके खिलाफ बादशाहपुर के 21 साल के दिनेश यादव ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कादिर और उसके पति ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सर्वदलीय बैठक में दिखाए तेवर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सात दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है और इसके तेवर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में दिखा दिए। बैठक के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'आज हुई सर्वदलीय बैठक में 47 में से 31 पार्टियों ने हिस्सा लिया। विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं और हमने उन्हें नोट कर लिया है, मैं इस आरोप की निंदा करता हूं कि हम क्रिसमस की उपेक्षा कर रहे हैं। 24 और 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा।' बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ने कहा, 'एजेंसियों के दुरुपयोग, आर्थिक मंदी, महंगाई, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को टीएमसी इस सत्र में मुद्दा उठाएगी।' सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'हिंदुस्तान में मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, ज्यूडिशियरी के साथ सरकार का टकराव मुद्दा होगा, भारत चाइना बॉर्डर पर स्थिति क्या है ये मुद्दा होगा, सरकार को इस पर बहस करना चाहिए, कश्मीर में पंडितों पर जुल्म हो रहे हैं, वो वहां से भाग रहे हैं, ये मुद्दा हम उठाएंगे। किसान के एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे, संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है।' गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सत्र की तारीखों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि सत्र की तारीखों को तय करते समय सरकार को ईसाई समुदाय के त्योहार (क्रिसमस) की तारीख का ध्यान रखना चाहिए तो वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सर्वदलीय बैठक के मीडिया से बात करते हुए लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने बैठक में सत्र की तारीख को लेकर सरकार से यह कहा कि उन्हें ऐसा करते समय ईसाई समुदाय के त्योहार (क्रिसमस) का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस सत्र को छोटा करने की मांग नहीं कर रही है बल्कि सरकार को 7 दिसंबर की बजाय इस सत्र को पहले ही शुरू कर देना चाहिए था क्योंकि चुनावों के लिए संसद सत्र को टालने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार की तरफ से कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिसमस के त्योहार के दिन 25 दिसंबर को रविवार है और उस दिन हम सब लोग क्रिसमस मनाएंगे। जोशी ने आगे कहा कि इससे पहले 24 दिसंबर को शनिवार है। इन दोनों दिन संसद की कार्यवाही नहीं होगी। विपक्ष अगर यह चाहता है कि 25 दिसंबर के बाद कोई कामकाज ही न हो तो यह गलत है लेकिन अगर उनकी तरफ से बीएसी में प्रस्ताव आता है तो हम एक और दिन यानी 26 दिसंबर को भी सदन की कार्यवाही को स्थगित करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने क्रिसमस के त्योहार को इग्नोर कर दिया है और हम उनके आरोप की भर्त्सना करते हैं।

गुजरात में चुनाव बाद हिंसा के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार

गांधीनगर (आरएनएस)। गुजरात में गांधीनगर जिले के कलोल निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बाद हुई हिंसा हो गई थी। इस मामले के संबंध में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में सोमवार को कलोल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बलदेवजी ठाकोर और भाजपा कार्यकताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसके बाद कार्यकर्ता को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले से आक्रोशित पार्टी के कार्यकताओं समेत एक भीड़ ने वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला किया और उसमें तोडफ़ोड़ की। भीड़ ने बलदेवजी ठाकोर को घेर लिया और उन्हें पीटने का भी प्रयास किया।

हिंसा के बढऩे से दोनों पक्षों के कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा होने लगे, लेकिन गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक तरुण दुग्गल और उनकी टीम ने समय रहते कलोल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी के कलोल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मुकेश पटेल ने आरोप लगाया कि लाठी और पाइप से लैस भाजपा कार्यकताओं ने कार्यालय पर हमला किया और धमकी दी है कि वे बलदेवजी ठाकोर को मार देंगे।

इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी उम्मीदवार बकाजी ठाकोर ने दावा किया कि बलदेवजी को एहसास हो गया था कि वह चुनाव हार रहे हैं। इसलिए उनके कार्यकताओं ने पहले बीजेपी कार्यकताओं पर हमला किया और उनके वाहनों में तोडफ़ोड़ की थी।

यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लगेगी वाहनों की रफ्तार पर लगाम

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। सर्दी आते ही कोहरा और एक्सीडेंट के मामले बढऩे लगते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक रफ्तार पर लगाम लगाने की तैयारी की है। 15 दिसंबर से एक्सप्रेस वे पर भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। रफ्तार पर यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक जारी रहेगा। अभी तक भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ते हैं।

यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों को रोकने के लिए हर साल रफ्तार कम कर दी जाती है। इस बार भी यह रफ्तार कम कर दी जाएगी। इसके अलावा जेपी कंपनी को एक्सप्रेस वे पर जल्द ही कुछ टोल बूथ को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यमुना अथॉरिटी ने जो भी निर्देश स्पीड कम करने के दिए हैं, उसे जेपी समूह को पालन करना होगा।

फिलहाल यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों में कमी आती दिखाई दे रही है। यमुना प्राधिकरण की तरफ से आईआईटी दिल्ली की टीम से सर्वे करवाया गया था। जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर कुछ काम कराने की रिपोर्ट दी गई थी। यमुना प्राधिकरण के निर्देश पर जेपी ग्रुप की ओर से एक्सप्रेस वे पर काम कराए गए हैं और उनसे फर्क भी साफ देखने को मिल रहा है। अब एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या घटकर 50 फीसद हो गई है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद : बेलगावी में हिंसा, 100 से अधिक को हिरासत में लिया गया

बेंगलुरू (आरएनएस)। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जब गुस्साई भीड़ ने महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाले ट्रकों पर हमला कर दिया। कर्नाटक पुलिस ने हिंसा के बाद कर्नाटक के अध्यक्ष रक्षणा वेदिके, नारायण गौड़ा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

पुलिस के मुताबिक, राज्य भर के विभिन्न जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र की ओर जा रहे पांच ट्रकों पर पथराव किया था।

वे ट्रकों पर चढ़ गए और महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्लेट भी फाड़ दी और वाहनों पर काला रंग कर दिया।

प्रदर्शनकारी कन्नड़ झंडों के साथ पुलिस वाहनों पर चढ़ गए और नारेबाजी की।

कार्यकर्ताओं ने बेलगावी शहर में एक बड़े जुलूस और रैली की योजना बनाई है और महाराष्ट्र के मंत्रियों के प्रवेश को भी रोकना चाहते हैं।

जैसा कि महाराष्ट्र के मंत्रियों ने अपनी यात्रा को बंद कर दिया, कर्नाटक में पुलिस ने कन्नड़ कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेलगावी शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। बेलागवी शहर में बड़ी संख्या में मराठी भाषी आबादी है। इस बीच, नारायण गौड़ा ने कहा, यह एक दिन का आंदोलन नहीं है। सरकार हमारे संघर्ष को खत्म करने के लिए पुलिस बल का उपयोग कर रही है। हम सरकार को सबक सिखाएंगे। हम सुवर्णा विधान सौध की घेराबंदी करने पर चर्चा करेंगे, जब शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। भाजपा महासचिव व विधायक सी.टी. रवि ने कहा कि महाराष्ट्र को कर्नाटक से एक इंच जमीन नहीं मिलेगी।

भाई को बचाने के लिए 10 साल की बेटी का करवा दिया मर्डर

0 दादा ने गला दबाया-चाचा ने चाकू घोंपा

पीलीभीत (आरएनएस)। पीलीभीत में 10 साल की बच्ची की इसलिए चाकू गोदकर हत्या कर दी गई क्योंकि रेप केस में फंसे उसके चाचा को बचाना था। इस वारदात को बच्ची के चाचा, पिता और दादा ने अंजाम दिया। बच्ची का नाम अनम था और वारदात पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में अंजाम दी गई। गंभीर रूप से घायल अनम की तीन दिसंबर को खेत में मिली थीं। उसके पेट पर चोट का गहरा जख्म था। आंतें बाहर आ गई थीं। चेहरे और हाथ पर भी चोट के निशान थे। करीब आधे घंटे तक तड़पने के बाद उसने परिवार के सामने ही दम तोड़ दिया। अनम के परिजनों ने कत्ल का आरोप रिश्तेदार शकील पर लगाया। जबकि पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची अनम के अब्बू अनीस, चाचा शादाब और दादा शहजादे ने रंजिश का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की। इन तीनों के अलावा दो आरोपियों सलीम और नसीम को पकड़ा गया।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि शादाब के परिवार और शकील में काफी समय से मुकदमेबाजी चल रही है, जिसमें कोर्ट ने शादाब और उसके परिवार के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने शकील को फंसाने की योजना बनाई।

2 दिसंबर की शाम शादाब मृतका अनम को मेला दिखाने के बहाने ग्राम सौदा पट्टी ले गया था। वहां पर सभी आरोपी एकजुट हुए और बच्ची को एक बाग में ले जाकर नींद की गोली खिला दी और पराली में छुपा दिया। फिर अगली सुबह चार बजे चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद उसे मरा समझकर शकील के खेत में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक दिनेश पी ने घटना की पुष्टि की है।

साल 2019, मृतक बच्ची अनम के चाचा शादाब को गांव के पास रहने वाली एक लडक़ी से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंची तो लडक़ी का परिवार तैयार नहीं हुआ। बहुत कहने के बाद भी जब परिवार नहीं माना तो शादाब ने उस लडक़ी के साथ भाग कर शादी कर ली। लडक़ी पारसी समाज की थी। इसलिए लडक़ी के भाई शकील ने शादी का विरोध किया। इसी बीच, शकील ने अपनी पत्नी के साथ रेप का मामला शादाब के खिलाफ दर्ज करा दिया। आरोपी चाचा शादाब ने पुलिस के सामने जुर्म कबूलते हुए कहा कि मैं और अब्बू ने पहले अनम को पत्थर से मारा। बड़े भाई अनीस ने भी बेटी के शरीर पर पत्थर से वार किया। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जैकेट खोल दी, जिससे चाकू सही से अंदर चला जाए। पहले उसको अनीस ही मारने वाले थे, लेकिन फिर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मुझे चाकू दे दिया। उसके बाद कहा- मैं उधर मुंह घुमा लूं फिर तुम चाकू मारना। भाई के मुंह घुमाते ही मैंने उसके पेट में चाकू मारा फिर घुमा कर बाहर निकाल लिया। उसकी आंतें बाहर आ गई। करीब आधे घंटे तक हम लोग वहीं उसको मरता हुआ देखते रहे। वो चिल्लाए न इसलिए अब्बू उसका गला दबाए हुए थे।

लखीमपुर हिंसा : केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 13 पर हत्या का आरोप तय

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 दोषियों पर हत्या का आरोप तय कर दिया गया है। हिंसा में मारे गए किसानों के मामले में जिला कारागार में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र सहित सभी 14 आरोपियों पर आज पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक, सभी पर आरोप तय कर दिए गए हैं।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा। हाल ही में प्रथम एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने किसानों की हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी थी। तीन अक्तूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी कांड में चार किसान, एक पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ता व एक ड्राइवर समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में दर्ज अलग-अलग मुकदमों में एसआईटी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को अगली तारीख तय कर दी गई है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र सहित कुल 14 अभियुक्त हैं। एक आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है।

तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

अहमदाबाद (आरएनएस)। अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को जयपुर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। इसकी पुष्टि तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन ने अपने ट्वीट के जरिए की।

साइबर क्राइम विंग के सूत्रों ने कहा कि उनकी टीम सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और साझा किए गए दस्तावेजों पर नजर रखती है और इस तरह की एक कवायद के दौरान टीम ने पाया कि साकेत गोखले ने आरटीआई की गलत जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने अखबार की कटिंग साझा की थी, इसमें कहा गया कि पुल गिरने के बाद, जिसमें 135 लोग मारे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

साकेत ने विभिन्न खचर्ें का ब्योरा साझा किया था और इवेंट मैनेजमेंट हेड में 5.5 करोड़ रुपये खर्च दिखाया गया था।

साइबर क्राइम पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों से जांच करने के बाद पाया कि आरटीआई के तहत ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी, इसलिए साइबर अपराध ने साकेत गोखले के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह पाया गया कि उनके द्वारा झूठी सूचना पोस्ट करने के बाद, कई अन्य लोगों ने इसे रिट्वीट किया और यहां तक कि कुछ असत्यापित दस्तावेज भी साझा किए। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ट्रांजिट गिरफ्तारी पर गोखले को गुजरात ले आई है और अदालत में पेश करेगी।

कोई खाली पेट न सोए, अंतिम आदमी तक अनाज पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। यह हमारी संस्कृति है कि हम यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। यह टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को अनाज पहुंचाया है। हमें यह भी देखना होगा कि यह जारी रहे। हमारी संस्कृति है कि कोई खाली पेट नहीं सोए। जस्टिस एम आर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार को ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के साथ एक ताजा चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 2011 की जनगणना के बाद देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो कई पात्र और जरूरतमंद लाभार्थी कानून के तहत लाभ से वंचित हो जाएंगे। भूषण ने कहा कि 14 राज्यों ने हलफनामे दाखिल कर कहा है कि उनका खाद्यान्न का कोटा खत्म हो चुका है। मामले में अब आठ दिसंबर को सुनवाई होगी।